

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, शिक्षा २००७, विद्यार्थनगर, लखनऊ - २०० ००७

प्रेषक,

अपर परियोजना निदेशक  
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद  
राज्य परियोजना कार्यालय,  
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसि ५ शिक्षा अधिकारी  
समस्त जनपद, उ०प्र० (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।

पत्रांक: क०गा०बा०वि०/३-२/ 5224 /2013-14

दिनांक 10 मई 2013

विषय- संविदा के आधार पर के०जी०बी०वी० में कार्यरत शैक्षणिक तथा शिक्षणोत्तर स्टाफ के नवीनीकरण विषयक।

महोदय,

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अन्तर्गत संविदा के आधार पर वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मियों का चयन/पदस्थापन किया जाता है तथा सन्तोषजनक सेवा की स्थिति में अगले वर्ष के लिए उनकी संविदा का नवीनीकरण करने का भी प्राविधान है।

उक्त नवीनीकरण की कार्यवाही समय से न हो पाने की स्थिति में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय का संचालन प्रभावित होता है, साथ ही साथ संबंधित संविदा कर्मी भी अनिश्चितता की स्थिति में रहते हैं। इसके कारण प्रायः न्यायालयी वाद एवं अन्य विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक के०जी०बी०वी०/३-२/ 3267/12-13 दिनांक 12-10-2012 तथा पत्रांक क०गा०बा०वि०/5224/12-13 दिनांक 12-02-2013 को अतिक्रमित करते हुए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में संविदा के आधार पर कार्यरत वार्डेन, पूर्णकालिक व अंशकालिक शिक्षक और शिक्षणोत्तर कर्मियों की संविदा नवीनीकरण हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं:-

1. किसी भी शैक्षिक सत्र में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शैक्षणिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मियों का सेवा अनुबन्ध एवं भुगतान 11 माह 29 दिन से अधिक अवधि के लिए नहीं किया जायेगा। तात्पर्य यह है कि संविदा नवीनीकरण में एक दिन का अन्तराल रखा जायेगा।

2. किसी कर्मी की सेवाएं उपयुक्त नहीं पाये जाने की दशा में पत्रावली में उन परिस्थितियों का साक्ष्य सहित स्पष्ट आकलन किया जाए तथा यदि संविदा का नवीनीकरण नहीं किया जाना है तो संबंधित कर्मी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराने के उपरान्त प्राप्त उत्तर के आधार पर युक्तियुक्त निर्णय लिया जाए।
3. सेवा अनुबन्ध में यह प्राविधान भी किया जाये कि यदि उसकी सेवाएं अनुपयुक्त पायी जाती हैं तो उन्हें एक माह का नोटिस देकर सेवाओं को समाप्त कर दिया जायेगा। गम्भीर परिस्थितियों/वित्तीय अनियमितता/गंभीर अनुशासनहीनता की स्थिति में बिना कोई नोटिस के यदि सेवा समाप्त करने की आवश्यकता प्रतीत होती है तो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा पुष्ट प्रमाणों सहित कार्यवाही हेतु प्रस्ताव जिलाधिकारी के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जनपद स्तरीय संचालन समिति की अनुमति से की जायेगी।
4. कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में चयनित शैक्षणिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मियों से प्रति वर्ष संविदा नवीनीकरण हेतु अनुबन्ध पत्र भराया जायेगा। सेवा अनुबन्ध के नवीनीकरण की कार्यवाही प्रति वर्ष 30 अप्रैल से प्रारम्भ करते हुए 30 मई, 2013 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय जिससे कि ग्रीष्मकालीन शिविर तथा नवीन सत्र संचालन में किसी प्रकार की कठिनाई न उत्पन्न हो।
5. सेवा अनुबन्ध नवीनीकरण तथा अन्य कार्यवाहियों के लिए जिलाधिकारी के समक्ष समय से पत्रावली प्रस्तुत करने का दायित्व जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का होगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीया

(डॉ० मीना शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक

पृ०सं०:- के०जी०बी०वी०/3-2 / 589 /2013-14 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
2. मण्डलायुक्त, समस्त मण्डल, उ०प्र०।
3. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उ०प्र० (कानपुर नगर एवं औरैया को छोड़कर)।
4. राज्य कार्यक्रम निदेशक, महिला समाख्या, उ०प्र०, गोमतीनगर, लखनऊ।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
6. वित्त नियंत्रक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०।
7. जिला समन्वयक, बालिका शिक्षा, समस्त जनपद, उ०प्र०।

(भगवती सिंह)

वरिष्ठ विशेषज्ञ